

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/1305/2024, लखनऊ दिनांक-26 नवम्बर .2024

संशोधित आदेश

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ - 2 प्रयागराज ने अपने पत्र संख्या 218/2024 दिनांकित 19.11.2024 द्वारा अवगत कराया है कि शासन के पत्र दिनांक 11.11.2024 द्वारा अपर आयुक्त ग्रेड -1, प्रयागराज जोन, प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार उन्हें प्रदान किया गया है, अतिरिक्त प्रभार के दायित्वों के निर्वहन में व्यस्तता के कारण दिनांक 02.12.2024 से 04.12.2024 तक झॉसी में गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ हैं और उक्त युगल पीठ से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 प्रयागराज के उक्त पत्र के अनुक्रम में, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश सं0 1284/2024 दिनांक 04.11.2024 द्वारा झॉसी के दो सदस्यीयवादों के निस्तारण हेतु दिनांक 02.12.2024 से 04.12.2024 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।, का संशोधित आदेश, आदेश संख्या 1373 दिनांक 22.11.2024 द्वारा जारी किया गया था किन्तु आदेश संख्या 1284/2024 दिनांक 04.11.2024 द्वारा जारी मूल आदेश में झॉसी में गठित युगल पीठ की अवधि दिनांक 02.12.2024 से 05.12.2024 तक निर्धारित है, अतः झॉसी में दिनांक 02.12.2024 से 05.12.2024 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-22.11.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- झॉसी
- 2- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 प्रयागराज।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी
मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।